न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 03/2013/अजमेर (2013/00020)

आफताब खान पुत्र श्री शरीफ मोहम्मद खान, निवासी ग्राम गगवाना तहसील अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर आदेश क्रमांक कअ/न्याय/2013/09 दिंनाक 21.01.2013

उपस्थितः 1— श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 27.01.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम बारह बोर डी.बी.बी.एल. गन नम्बर 1886 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/08 था जो जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जारी किया जो कि वर्ष 2008 से नवीनीकरण होता आ रहा था। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र की नवीनी[illegible]5.10.2012 तक था इसे आगामी तीन वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए आवे[illegible] पत्र [illegible] किया । जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के चरित्र [illegible] के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलार्थी [illegible]रित्र के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की। [illegible]के द्वारा अपनी रिपोर्ट में केवल अपीलाट के नाम प्रकरण संख्या 166/2011 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 147,

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:53 IST
Reason: SelfAttested

427, आईपी.सी. दर्ज होकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 21.1.2013 जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित कर दिया गया । उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरस्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में लाईसेंस को निरस्त करने का कोई आधार अंकित नहीं किया है। केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियान का दुरूपयोग नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में रिपोर्ट चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने केवल अपीलार्थी के नाम प्रकरण संख्या 01/2008 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 147, 427, आईपी.सी. दर्ज होकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र का लाईसेन्स नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तब उनको किसी भी फौजदारी मामले में दण्डित नहीं किया गया था।

उन्होंने यह भी कथन किया कि केवल फौजदारी मुकदमा विचाराधीन या दोषसिद्धि के आधार पर हथियार के लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस बारे में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) में स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी लाईसेंस उन्हीं परिस्थितियों में निलंबित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने लाईसेंसशुदा हथियार का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने भी अपने निर्णय में अपीलार्थी के हथियार से जन सुरक्षा या

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:53 IST
Reason: SelfAttested

पब्लिक पीस के लिए खतरा होना या अंदेशा होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिंग अथोरिटी को उप–धारा 5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। एक मुकदमा जो दो वर्ष पूर्व का है और केवल इस कार्यवाही से जन सुरक्षा को खतरा होने का आधार मानना किसी भी स्थिति में उचित व विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 निर्णय दिनांक 18–1–2005 में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने यह इंगित नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुद्ध लाईसेंस को रद्ध करना जरूरी था। माननीय खण्डपीठ ने यह भी मत व्यक्त किया कि केवल कुछ फौजदारी मुकदमें लम्बित होने के आधार पर आयुद्ध लाईसेंस निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006(3) क्रिमिनल कोर्ट केस पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पीटीशन नम्बर 13164/2003, डी दिनांक 8.11.2005 वीरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें सम्मिलित होने पर भी आयुद्ध लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर ने परिपत्र क्रमांक प–1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे रिन्यु करने की व्यवस्था की है। इसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में शपथ–पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलार्थी दोषी नहीं है। इनमे से कोई भी बिन्दु अपीलार्थी के विपरीत नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने उनके विरूद्ध विचाराधीन मुकदमा संख्या 1/2008 के लम्बित होने के आधार पर अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की है और जिला कलक्टर अजमेर ने भी केवल पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के नाम का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है। इस बारे में [illegible] के परिपत्र क्रमांक प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16.10.2010 के पैरा [illegible] में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में संशोधन किया गया है। अब यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञापत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के आधार पर कार्यवाही के निर्देश

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:53 IST
Reason: SelfAttested

दिये है। परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि यदि किसी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे अनुज्ञाधारी का लाईसेन्स तुरन्त निरस्त किया जावे। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 16.2.2010 के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट निष्प्रभावी हो गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कभी भी कोई मुकदमा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 115(3) या 151 के तहत शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी भी न्यायालय ने आज तक शांति बनाए रखने के लिए अपीलार्थी को पाबन्द कर बॉड नहीं भरवाए गए है। फिर भी लोक शांति भंग करने की आशंका बताकर हथियार का लाईसेंस निरस्त करना विधिविरूद्ध है। अपने उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थी अभिभाषक ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907, 2006 (3) सीआरसीसी पृष्ठ 502 एवं परिपत्र कमांक प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 की नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के नाम बारह बोर डी.बी.बी.एल. गन नम्बर 1886 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/08 बहाल करते हुए इनका नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम बारह बोर डी.बी.बी.एल. गन नम्बर 1886 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/08 बाबत एवं अपीलार्थी के चरित्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र कमांक 1489 दिनांक 29.11.12 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी श्री आफताब खान पुत्र श्री शरीफ मोहम्मद खान निवासी गगवाना थाना गेगल जिला अजमेर के के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 166/11 धारा 143, 323, 341, 147, 146, 149, 307, 326, 324, 325, 304, 427 भ0द0स0 में दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान जरिये चालान संख्या 8/12 दिनांक 13.8.2012 को किता की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगली अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित है। उक्त आधार पर जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र बारह बोर डी.बी.बी.एल. गन नम्बर 1886 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/08 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर दर्ज शस्त्र [illegible] कारतूस आदि को पुलिस थाना सरवाड़ में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:53 IST
Reason: SelfAttested

एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1489 दिनांक 29.11.12 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी श्री आफताब खान पुत्र श्री शरीफ मोहम्मद खान निवासी गगवाना थाना गेगल जिला अजमेर के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 166/11 धारा 143, 323, 341, 147, 146, 149, 307, 326, 324, 325, 304, 427 भ0द0स0 में दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान जरिये चालान संख्या 8/12 दिनांक 13.8.2012 को किता की जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगली अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित है। इसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 9 दिनांक 21–1–2013 द्वारा लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगली अवधि के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित होने के कारण जिला मजिस्ट्रट अजमेर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र बारह बोर डी.बी.बी.एल. गन नम्बर 1886 शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1/08 हथियार को पुलिस थाना सरवाड़ में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उनके कथनों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं परिपत्रों का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक समानता नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण में यह न्यायिक दृष्टांत यथावत चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ 2013 /09 दिनांक 21–1–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:53 IST
Reason: SelfAttested